वार्षिक प्रतिवेदन

2011—12

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

1. विभाग का संघटनात्मक ढाँचा

1.1 सामान्य–वर्ष 1977–78 के पूर्व साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग एक स्वतंत्र विभाग न होकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही एक प्रभाग के रूप में कार्यरत था। बिहार राज्य में बाढ़ की प्रवणता, चक्रवता, तूफान, ओलापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुखाड़, भूकम्प आदि के समय–समय पर अत्यधिक जन एवं धन की हानि होने लगी। बाढ़ के समय नदियों की जलधारा बदलने के फलस्वरूप नदी के किनारे पर बसे गांव कटावग्रस्त होने से लोग विस्थापित होने लगे।

1.2 षष्ट्म वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के लिए राहत देने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने हेतु पैकेज की घोषणाएँ की गयी थीं, जिसके लिए राहत राशि तथा राहत के कुशल प्रबंधन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से एक पृथक विभाग 'साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग' के नाम से सृजित किया गया।

1.3 भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा गठित उच्च शक्ति प्रदत्त समिति के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आलोक में साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का नाम परिवर्तित कर ''आपदा प्रबंधन विभाग'' रखने पर बल दिया गया है जिसके अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या मं0मं0 1/आर–04/2004–793 दिनांक 18.03.2004 के द्वारा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। और विभाग का नाम परिवर्तित कर ''आपदा प्रबंधन विभाग'' कर दिया गया है तथा विभाग के सचिव का नाम ''प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग'' नामित किया गया है।

2 विभाग के प्रशासनिक संभाग की वर्त्तमान रूपरेखा–

समय–समय पर इसके प्रशासनिक ढाँचे में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किये गए। वित्तीय वर्ष 2000–01 में राज्य का पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्त्तमान में विभाग का संघटनात्मक ढाँचा निम्नरूपेण है :–

(I) सचिवालय स्तर

(II) जिला स्तर

2.1 सचिवालय स्तर (सरकार)

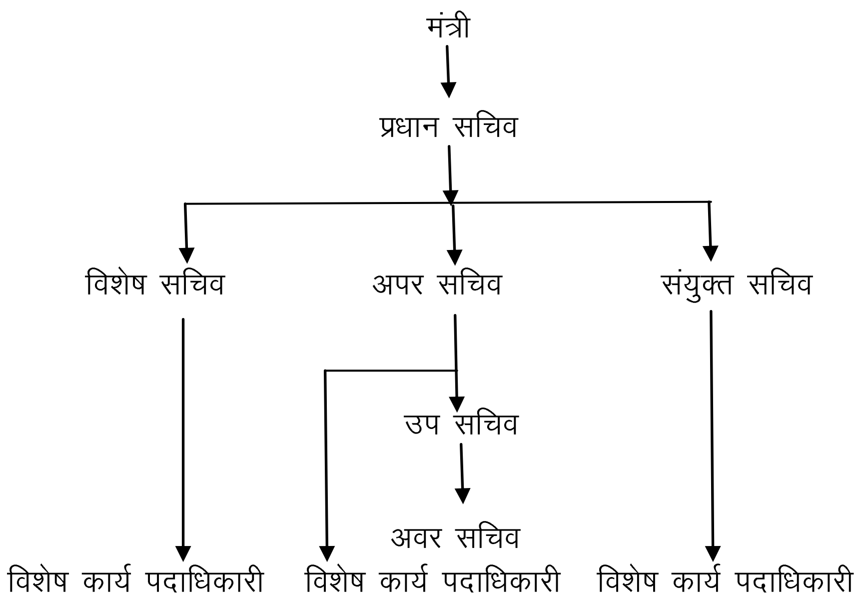

विशेष कार्य पदाधिकारी (तीन पद)

मुख्यालय स्थापना

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	प्रशाखा पदाधिकारी	5 पद	2 पद
2.	सहायक	12 पद	10 पद
3.	लेखापाल	1 पद	रिक्त
4.	प्रधान आप्त सचिव	1 पद	1 पद
5.	रोकड़पाल	1 पद	1 पद
6.	निजी सहायक	6 पद	4 पद
7.	उच्चवर्गीय लिपिक	4 पद	3 पद
8.	सांख्यिकी पदाधिकारी	1 पद	1 पद
9.	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	1 पद	रिक्त
10.	सहायक सांख्यिकी	1 पद	रिक्त
11.	निम्नवर्गीय लिपिक	5 पद	3 पद
12.	चालक	6 पद	2 पद
13.	आदेशपाल	19 पद	19 पद
14.	फरास	2 पद	1 पद
15.	पानी पाड़े	1 पद	1 पद
16.	दफ्तरी	1 पद	रिक्त
17.	सचिव के सचिव	1 पद	1 पद
18.	आप्त सचिव	2 पद	1 पद
19.	लिपिक	1 पद	1 पद

2.2 जिला स्तर

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	अपर समाहर्त्ता	18 पद	18 पद
2.	निजी सहायक/आशुलिपिक	4 पद	रिक्त
3.	प्रमंडलीय सहायक	4 पद	4 पद
4.	प्रधान लिपिक प्रवर कोटि	35 पद	31 पद
5.	लिपिक/सहायक	34 पद	25 पद
6.	टंकक	5 पद	5 पद
7.	आदेशपाल	35 पद	24 पद
8.	ट्रक ड्राइवर	1 पद	1 पद
9.	ट्रक खलासी	2 पद	1 पद
10.	मोटर बोट चालक	14 पद	12 पद
11.	मोटर बोट खलासी	12 पद	8 पद
12.	मोटर बोट मैकेनिक–सह–चालक	1 पद	रिक्त

उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त प्रमंडलीय एवं जिलास्तर पर साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का कोई पद सृजित नहीं है। राहत एवं राहत संबंधी अन्य सभी कार्य जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के ही माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं। जिला स्तर पर साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है।

3. **बिहार राज्य**– बिहार राज्य 24^0 20′ 10′′ एवं 27^0 31′ 15′′ अक्षांश तथा 27^0 19′ 50′′ एवं 88^0 17′ 40′′ देशान्तर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है।

पुनर्गठित बिहार राज्य अब समतल क्षेत्र के रूप में रह गया है जिसे गंगा नदी उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभक्त करती है। उत्तर बिहार का क्षेत्र करीब 54,000 वर्ग किलोमीटर तथा दक्षिण बिहार 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्ष 2001 की जनगणना के औपबंधिक आंकड़ों के अनुसार राज्य की आबादी 8,28,78,796 है जो पूरे देश की आबादी का 8.06 प्रतिशत है। इस प्रकार यह राज्य देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राज्य की प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी वाला राज्य है। इस प्रकार यह राज्य देश का तीसरा सबसे अधिक है। राज्य की प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी की सघनता 880 व्यक्ति है जबकि पूरे देश की औसत सघनता 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में कृषि योग्य भूमि 65,39,849 हेक्टेयर है जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों के जिम्मे 27,37,789 हेक्टेयर एवं 1,30,069 है।

राज्य प्राकृतिक आपदाओं से बराबर प्रति वर्ष ग्रसित होता रहता है।

(क) वृहत आपदा– बाढ़, सुखाड़

(ख) लघु आपदा– ओलापात्, अग्निकांड, वज्रपात

(ग) इसके अतिरिक्त चक्रवातीय तूफान, भुकम्प एवं शीत लहर का भी प्रकोप बना रहता है।

3.1 अपने भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार राज्य देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्यों में से एक है। उत्तर बिहार का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिण बिहार के आंशिक क्षेत्र जो करीब 64.91 लाख हेक्टेयर भूमि में है और जो राज्य का करीब 378 क्षेत्र है में बाढ़ प्रवणता अत्यधिक है, जहाँ प्रत्येक वर्ष निरन्तरता से बाढ़ आती है और अपनी भयावहता दर्शाती है। गंगा के बांयी और अत्यधिक वर्षापात् क्षेत्र वाली नदियाँ हैं; जैसे बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह, कमला बलान, कोशी, महानंदा एवं अन्य छोटी–छोटी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है और नेपाल होकर राज्य में बहती हैं और अंततः गंगा में मिल जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 द्वारा यह शिनाख्त किया गया है कि बिहार राज्य देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ यह कहना युक्तिसंगत होगा कि देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 17 प्रतिशत क्षेत्र बिहार में पड़ता है। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् भी 16.03 प्रतिशत बाढ़ की क्षति का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षति केवल बिहार राज्य में होता है। बाढ़ प्रवण जिलों का नाम के नाम का उल्लेख।

3.2 राज्य के 38 जिलों में निवास करनेवाली 8.28 करोड़ की आबादी में से 27 जिलों के 6.20 करोड़ की आबादी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निवास करती है जो देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले 52,51,986 परिवारों की 2.63 करोड़ आबादी है जो क्षेत्र की 40 प्रतिशत आबादी है। बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 99,82,448 है जिसमें से 28

लाख अनुसूचित जाति के व्यक्ति इसी क्षेत्र में निबास करते हैं। 77,13,000 सीमान्त किसान एवं 81,14,000 कृषक मजदूर भी बाढ़ की प्रवणता से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं।

3-3	**बिहार का परिदृश्य – बाढ़ 2011**	**क्षति**
	प्रभावित जिला–	24
	प्रभावित प्रखंडों की संख्या–	155
	प्रभावित पंचायतों की संख्या–	1108
	प्रभावित गांवों की संख्या–	3589
	प्रभावित जनसंख्या(लाख में)–	64.21
	प्रभावित क्षेत्र(लाख हेक्टेयर में)–	3.09

3.4 उत्तर बिहार की बाढ़ के प्रमुख कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे–कोशी गंडक, बागमती, अधवारा नदी समूह तथा महानन्दा है। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का 61 प्रतिशत भाग नेपाल तथा तिब्बत में पड़ता है। हिमालय पर्व श्रृखंला की तीखी ढाल पर प्रवाहित होती हुई ये नदियाँ अपने जल–प्रवाह के साथ बड़ी मात्रा में गाद लाती है। साथ ही समतल भूमि में आने के कारण नदियों का जल स्तर प्रतिवर्ष क्रमशः उपर उठता जाता है। लगातार परिवर्तन और सबका मिला–जुला रूप एक भीषण बाढ़ विभीषिका के रूप में परिलक्षित होता है।

3.5 बाढ़ के अलावे यह राज्य सुखाड़ प्रवण भी है, क्योंकि इस राज्य की खेती का बड़ा हिस्सा वर्षा के पानी पर आश्रित होता है। अतः समय पर एवं नियमित रूप से वर्षा नहीं होने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्से सूखे के प्रभाव में आ जाते हैं।

3.6 प्रत्येक वर्ष अप्रैल, मई एवं जून में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है।

3.7 इसके अतिरिक्त राज्य में छिटपुट ओलापात, वज्रपात आदि जैसी घटनाएँ घटित हो जाया करती है।

3.8 इसके अतिरिक्त राज्य के माह दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह तक शीतलहर का प्रकोप यहाँ के नागरिकों को झेलना पड़ता है।

3.9 वर्ष 1988 में भूकंप से प्रभावितों को हुडको ऋण तथा कटाव से विस्थापितों को पुनर्वासित करना भी इस विभाग की परिधि में ह।

4. विभाग के महत्वपूर्ण कार्य–

आपदा प्रबंधन विभाग का उद्देष्य विभिन्न आपदाओं यथा बाढ, सुखाड़, ओलापात, अग्निकांड, चक्रवातीय तुफान, बज्रपात, शीतलहर आदि से प्रभावित लोगों को साहाय्य प्रदान करने तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, इसका उपाय करना है। इसके अतिरिक्त गैर प्राकृतिक आपदा से घायल एवं मृत व्यक्तियों के परिवारों को अस्पताल में उनके उपचार के लिए व्यय तथा यथा स्थिति अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2009–10 से वज्रपात के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था की गई। साथ ही विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न, नगद अनुदान के अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, गृह क्षति अनुदान, पशु क्षति अनुदान देने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा नदियों के कटाव से विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास हेतु अर्जित की जाने

वाली भूमि की मुआवजा राषि का भुगतान भी इस विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन के लिए सरकारी कर्मियों एवं समुदाय के प्रषिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु गोताखोरों का प्रषिक्षण, समुदाय/स्वयंसेवकों का प्रषिक्षण, मोटरबोट चालकों का प्रषिक्षण, भूकम्परोधी निर्माण हेतु विभिन्न एजेन्सियों यथा अभियन्ता, वास्तुविद, ठिकेदार, राजमिस्त्री आदि का प्रषिक्षण प्रमुख हैं।

5. आपदा प्रबंधन विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ (वर्ष 2011–12):–

5.1 बाढ़ आपदा प्रबंधनः–

- राज्य के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण जिले हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते हैं। सुपौल, सारण, नालन्दा, वैषाली, पूर्णियां, षिवहर, खगड़िया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पष्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अररिया, मधेपुरा, शेखपुरा, किषनगंज, भोजपुर, लखीसराय एवं बेगूसराय बाढ़ प्रवण जिले हैं। अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में सुपौल, मधेपुरा, षिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैषाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय एवं भागलपुर आते हैं।
- विभाग द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जिसमें विभिन्न एजेन्सियों एवं सहभागियों की बाढ़ पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के पश्चात की जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया है ताकि बाढ़ आपदा के समय राहत बचाव कार्यो में कोई संषय की स्थिति न हो।
- फरवरी–मार्च 2011 से ही बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा विभाग के द्वारा की गई। सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं समीक्षात्मक बैठकों के माध्यम से निदेष निर्गत किये गए तथा संसाधनों (वित्तीय एवं सामग्री) का आकलन किया गया। आपदा प्रबंधन समूह की भी बैठक आयोजित की गई तथा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी गई।
- बाढ़ पूर्व तैयारी के क्रम में संसाधनों एवं सामग्रियों को आवष्यकतानुसार क्रय करने हेतु बाढ़ प्रवण जिलों को दिनांक 02.06.11 के राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार राषि आवंटित की गई।
- कोसी पूर्वी तटबंध पर जल का दबाव बढने के फलस्वरूप तटबंध के टूटने की आषंका के मद्देनजर पूर्वी कोसी तटबंध का हवाई सर्वेक्षण किया गया एवं दिनांक 02.06.11 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कर कोसी क्षेत्र के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एवं खगड़िया जिलों में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए विषेष रूप से तैयारियाँ की गई। NDRF की एक–एक कंपनी की प्रतिनियुक्ति सहरसा, सुपौल, खगड़िया एवं मधेपुरा में पूर्व से ही कर दी गई और आवश्यक संसाधनों का भंडारण कर लिया गया था।

पूर्वी कोसी तटबंध से संभावित टूटान के संबंध में प्रभावित हो सकने वाले जिलों में विशेष तैयारी

क्र0	संसाधनों की सूची/प्रखंडों में उपलब्धता	सुपौल	सहरसा	खगड़िया	मधेपुरा
1.	नाव (देशी)	297	352	898	195
2.	मोटरवोट	2+(2 FRP एवं 6 Inflatable मोटर बोट मुंगेर से 4 लखीसराय से प्राप्त)	02 FRP (4 Inflatable मोटर बोट लखीसराय से प्राप्त)	02 FRP (2 Inflatable मोटर बोट भोजपुर से प्राप्त)	02 FRP (2 Inflatable मोटर बोट भोजपुर से प्राप्त)
3.	टेन्ट	825 197 कपड़ा टेन्ट भवन प्रमण्डल सुपौल के पास	750	1000 टेन्ट बेगुसराय से प्राप्त होंगे	1000 टेन्ट सहरसा से प्राप्त होगा/ 1600 उपलब्ध
4.	लाईफ जैकेट्स	242	100	100	100
5.	पॉलीथीन शीट्स	6850	3500	4000	5000
6.	NDRF टीम की प्रतिनियुक्ति	एक टीम प्रतिनियुक्त	एक टीम प्रतिनियुक्त	एक टीम प्रतिनियुक्त	एक टीम प्रतिनियुक्त
7.	मोटर वोट चालक	10	10	10	10
8.	जीवन रक्षक दवाएँ	क्रय एवं भंडारित	क्रय एवं भंडारित	क्रय एवं भंडारित	क्रय एवं भंडारित
9.	मेगा शेड उपलब्ध (भवन निर्माण विभाग के सौजन्य से)	19	42	–	–
10.	ऊँचे शरण स्थलों का चिन्हिकरण	चिन्हित	चिन्हित	चिन्हित	चिन्हित
11.	GPS सेट	6	4	4	4
12	नई सरकारी नावों का क्रय	40	50	30 छोटी नाव	50

- **गंगा एवं अन्य नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण एवं अप्रत्याशित वर्षापात् से उत्पन्न बाढ़ आपदा की स्थितिः–** अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण कुल 23 जिले यथा बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर, वैषाली, खगड़िया, भोजपुर, सारण, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर आदि का कुछ भू–भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ एवं पुनः 25 एवं 26 सितम्बर को अप्रत्याशित अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ सदृश स्थिति से सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर आदि जिले प्रभावित हुए। अद्यतन प्रतिवेदनानुसार 27. 40 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। विभाग के दिशा निर्देश में जिला स्तर पर व्यापक बचाव एवं राहत कार्य चलाया गया। आबादी निष्क्रमण एवं आवागमन को सुचारू रूप से चलाने हेतु 2512 नावें परिचालित की गई हैं। कुल 69 राहत षिविर का संचालन किया गया है जिसमें भागलपुर में 58, खगड़िया में 5, मुजफ्फरपुर में 3, भोजपुर में 2, पटना में 1 शामिल है। इन षिविरों में पीड़ित व्यक्तियों को सुखा राषन/ भोजन, स्वच्छ पेय जल, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पशुओं के लिए 64 पशु षिविर खोले गए जिनमें इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। 520267 क्वींटल खाद्यान्न का वितरण किया गया तथा ₹ 128850650

लाख नगद अनुदान के रूप में वितरण किया गया हैं। साथ ही 59685 हैलोजन टैबलेट, 3548 क्वींटल चूड़ा, 679.43 क्वींटल गुड़, 38942 दियासलाई पैकेट, 14483 अदद मोमवत्ती, 8100 ली0 किरोसीन ऑयल, 109625 पॉलीथीन शीट्स का वितरण भी पीड़ितों के बीच किया गया। 29324 फूड पैकेट्स वितरित किये गये। 18 जिलों के 68 प्रखण्डों में महामारी के रोकथाम, चिकित्सा, आघात से बचाव के लिए चिकित्सा दल/चलन्त चिकित्सा दल की व्यवस्था की गई।

5.2 **सोन के जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आपदा की स्थितिः–** दिनांक 10.09.2011 को सोन नदी के जलस्तर अप्रत्याषित वृद्धि के फलस्वरूप इसके किनारे अवस्थित जिलों यथा औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, पटना आदि जिले आंषिक रूप से प्रभावित हुए। राज्य नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की गई। बिहटा अवस्थित एन0डी0आर0एफ0 की तीन टीमें प्रभावित जिलों के लिए अविलंब प्रतिनियोजित की गई तथा त्वरित गति से व्यापक खोज एवं बचाव कार्य किया गया। औरंगाबाद जिले में 258, रोहतास में 837, अरवल में 6 लोगों को जिला प्रषासन की सहयोग से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकालकर एन0डी0आर0एफ0 के द्वारा सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया। निष्कासित आबादी के आवासन/भोजन/ पेयजल/ स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था की गई। रोहतास के अर्जुन बीघा एवं औरंगाबाद के नबनेर गांव के कतिपय व्यक्ति सोन नदी के अन्दर फॅस गए थे। उनको निकालने के लिए एयर फोर्स से हेलीकॉप्टर की सेवाएँ ली गयीं। एयर फोर्स के हेलिकॉप्टर के द्वारा दिनांक 11.09.11 को प्रभावित क्षेत्रों में उनलोगों को निकालने का प्रयास हुआ। परन्तु रात हो जाने के कारण उन्हें निकालना संभव नहीं रहा। फलतः अगले दिन 12.09.11 को भी हेलिकॉप्टर मंगाया गया, परन्तु 11.09.11 की रात्रि में एन0डी0आर0एफ0 तथा जिला प्रशासन की टोम द्वारा बचाव कार्य पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप इसे वापस कर दिया गया। पुनः दिनांक 23 एवं 24 सितम्बर, 2011 को रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न आकस्मिक परिस्थिति में NDRF की दो टीमों द्वारा तिलौथू से 54, नवहट्टा से 205 एवं झारखंडी मंदिर से 19 लोगों को, कुल 278 लोगों को जो कि सोन नदी के मध्य में फँसे हुए थे, बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। दोनों ऑपरेशन में किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं होने दी गई।

बाढ़ 2011 में हुई क्षति–

- वर्ष 2011 में बाढ से 24 जिलों के 155 प्रखण्डान्तर्गत 1108 पंचायत के 3589 गांवों की 64.21 लाख की आबादी प्रभावित हुए हैं। कुल 6.02 लाख पशु भी इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ की भयावहता में कुल 0.64 लाख हेक्टेयर अन्य भूमि है। कुल 1.29 लाख भूमि में खड़ी फसल एवं ₹ 5705.40 लाख की फसल नष्ट हुई।
- वर्ष 2011 में पक्का मकान तथा कच्चा मकान/झोपड़ियाँ आदि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई, जो कुल 29696 है और जिनकी लागत मूल्य करीब ₹ 13059.00 लाख है। इसके अतिरिक्त ₹ 3599.60 लाख की सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी हुई।
- वर्ष 2011 में 147 मानव जीवन की क्षति बाढ़ में डूबकर एवं बाढ़ जनित कारणों से हुई।

5.3 संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी :– उत्तर बिहार की नदियों में लगभग हर वर्ष बाढ़ आने से बहुत बड़ा भू–भाग प्रभावित होता रहता है। यह देखा गया है कि लगभग 3–4 वर्ष का बाढ़ चक्र उत्तर बिहार में प्रभावी होता है जिसके अनुसार प्रत्येक तीन–चार वर्ष के अन्तराल में बाढ़ बहुत बड़े भू–भाग को प्रभावित करती है। वर्तमान दशक में 2004 तथा 2007 में उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित रहे। वर्ष 2008 में कोशी प्रलय से राज्य के पाँच जिले प्रभावित हुए। 2010 में उत्तर बिहार के आठ जिलों के कुल 41 प्रखण्ड की बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हुए। बाढ़ आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्माण कर लिया गया है एवं विभिन्न विभागों के कार्यो का सूत्रण कर लिया गया है।

5.4 अग्निकांड– राज्य में मार्च के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक अग्निकांड प्रतिवेदित होते रहे हैं। अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मुहैया कराना आपदा प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। विभाग के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त अनाज (1 क्वींटल), नगद अनुदान (₹ 2250/– प्रति परिवार) के साथ गृह क्षति मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाता है। दिनांक 14.09.11 तक अग्नि सहाय्य मद में ₹ 129.24 लाख आवंटित किये गये।

5.5 **मोटर बोट एवं नावों का क्रय**– बाढ़ प्रवण 28 जिलों को 10–10 मोटर बोट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 128 FRP मोटर बोट एवं 92 इन्फ्लेटेबल मोटर बोट अब तक कुल 210 मोटर बोट जिलों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। राज्य के अति बाढ़ प्रवण 15 जिलों हेतु 100–100 अदद देशी नाव के अतिरिक्त 100–100 प्रति जिला एवं बाढ़ प्रवण 13 जिलों हेतु 50 अदद देशी नाव के अतिरिक्त 50 नाव प्रति जिलों के क्रय की कार्रवाई की जा रही है। 18 जिलों में देशी नाव के क्रय की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है।

5.6 भूकम्परोधी निर्माण कार्यो हेतु अभियंताओं/वास्तुविदों/भवन निर्माताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण:– राज्य के सभी जिले भूकम्प जोन में आते हैं। अतएव सभी जिलों में भूकम्प रोधी भवनों का निर्माण करने हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की बहुआयामी योजना प्रारंभ की जा रही है। जिस हेतु ₹ 47,30,17,330.00 (सैतालीस करोड़ तीस लाख सतरह हजार तीन सौ तीस रूपये) का व्यय आकलित किया गया है।

5.7 **लाईफ जैकेट का क्रय**– 28 बाढ़ प्रवण जिलों में 100–100 अद्द लाईफ जैकेट्स पूर्व में उपलब्ध कराया गया था, इसके अतिरिक्त 100–100 अद्द लाईफ जैकेट बाढ़ प्रवण जिलों में पुनः उपलब्ध कराये गये हैं।

5.8 **महाजाल का क्रय**– बाढ़ आपदा एवं नौका दुर्घटना के समय बचाव कार्यों हेतु बाढ़ प्रवण 28 जिलों में महाजाल का क्रय किये जाने की योजना है। अब तक 19 जिलों में महाजाल का क्रय हो चुका है।

5.9 **टेन्ट की व्यवस्था**– बाढ़ के पश्चात् पीड़ित/आपदाग्रस्त लोगों के अस्थायी विस्थापन से उत्पन्न आवासन की समस्या से निपटने हेतु 09 नोडल जिलों में मेगा शिविर लगाने हेतु टेन्टों का क्रय करने की

योजना है। 07 नोडल जिलों में टेन्टों का क्रय किया जा चुका है। इन नोडल जिलों से संबंधित जिलों में आपदा के समय टेन्टों को भेजा जा सकता है।

5.10 **पॉलीथीन शीट्स का क्रय**– बाढ़ आने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को उँचे स्थलों तथा तटबंध एवं रेलवे लाइन, उच्च पथ आदि के किनारे शरण लेने की स्थितियों में उन्हें बर्षा एवं धूप से बचाव हेतु पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को पॉलीथीन शीट्स क्रय करने की कार्रवाई करने का निर्देश मॉनसून आरंभ होते ही दिया जाता है।

5.11 **आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माणः**– बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में सभी प्रकार के आपदाओं के समय कार्य करने हेतु 10.00 लाख रुपये की लागत के मॉडल आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। 14 जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 23 जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र के निर्माण हेतु राशि प्रदान की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इन आपातकालीन संचालन केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की योजना है। राज्य स्तर पर आपातकालीन संचालन केन्द्र निर्मित है। इसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

5.12 **वेयरहाउस का निर्माणः**– सभी बाढ़ प्रवण 28 जिलों में ₹ 20.00 लाख की दर से खोज एवं बचाव उपकरणों एवं राहत सामग्री के सुरक्षित भंडारण हेतु वेयर हाउस का निर्माण कराया गया है। 15 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 13 जिला मुख्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

5.13 **गोताखोरों का प्रशिक्षणः**– बाढ़ में खोज एवं बचाव तथा नाव दुर्घटना के मद्देनजर तैराकी एवं गोताखोरी का प्रशिक्षण प्रत्येक जिलों में देने का लक्ष्य रखा गया है तथा अबतक बाढ़ प्रवण 27 जिलों में प्रत्येक जिले से 30–30 (10 समुदाय, 10 होमगार्ड एवं 10 बिहार पुलिस के लोगों को चुनकर) लोगों को चुनकर कुल 810 व्यक्तियों को तथा गैर बाढ़ प्रवण 8 जिलों में प्रत्येक जिले से 15–15 (5 समुदाय, 5 होमगार्ड एवं 5 बिहार पुलिस के जवानों को) लोगों को चुनकर कुल 120 व्यक्तियों को खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षित गोताखोरों में से 480 व्यक्तियों को पुनर्प्रशिक्षित किया गया है और यह प्रक्रिया सतत जारी है।

5.14 **मास्टर ट्रेनरों का खोज एवं बचाव में प्रशिक्षणः**– 28 बाढ़ प्रवण जिलों के 297 बाढ़ प्रवण प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड से 10–10 स्वयंसेवकों का (7 स्वयंसेवक एवं 3 सरकारी सेवक) चयन कर अब तक कुल 2970 बाढ़ के दौरान खोज एवं बचाव कार्य में दक्ष मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण एवं गठन छक्त्थ के सहयोग से कर लिया गया है।

5.15 **समुदाय का प्रशिक्षण**– प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ प्रवण प्रखंडों के बाढ़ प्रवण पंचायतों से समुदाय के 5–5 व्यक्तियों को चुनकर खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 13,410 समुदाय के लोगों को NDRF के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

5.16 **मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षणः**– मोटर बोटों के परिचालन हेतु एन0डी0आर0एफ0 की मदद से 257 होमगार्ड के जवानों को 25 बाढ़ प्रवण जिलों से चुनकर अब तक प्रशिक्षित एवं पुनर्प्रशिक्षित किया जा चुका है।

5.17 Incident Response System पर ToT प्रषिक्षणः— बिहार लोक प्रषासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के आने की दषा में राज्य से जिला स्तर तक त्वरित रिस्पौंस कराने हेतु Incident Response System पर ToT प्रषिक्षण कराया जा चुका है। य मास्टर ट्रेनर कालांतर से प्रत्येक जिले में जाकर I.R.S का प्रषिक्षण देंगे। साथ ही Incident Response System पर राज्यस्तरीय कार्यषाला भी किया जा चुका है।

5.18 **पेयजल संकट प्रबंधनः**— माह दिसम्बर 2010—जनवरी 2011 से भूजल स्तर में गिराबट के कारण पेयजल संकट की संभावना बनने लगी। विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आपदा प्रबंधन समूह की बैठकों का आयोजन कर पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम उठाए गए।

- पेय जल संकट से निपटने के लिए जिला पदाधिकारियों एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राषि आवंटित की गई। गंगा के दक्षिण अवस्थित 17 जिलों के लिए प्रति जिला ₹ 5.00 लाख की दर से ₹ 85.00 लाख की राषि तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को 15.00 लाख रू0 की राषि कुल एक करोड़ रू0 की राषि नए चापाकलों के अधिष्ठापन एवं पुराने चापाकलों की मरम्मति के लिए उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को टैंकरों से जल आपूर्ति के लिए 5 करोड़ रू0 तथा कुऑ आदि की मरम्मति के लिए ₹ 5.28 करोड़ की राषि आवंटित की गई है।
- पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण कर दिया गया है।

5.19 **वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुदान** :— आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अनुसार वज्रपात से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है। फलस्वरूप वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान देने में कठिनाई आ रही थी। किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान देने में कठिनाई आ रही थी। किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुदान की व्यवस्था की है। तद्नुसार पूर्व वर्ष की भांति आगामी वित्तीय वर्ष में भी वज्रपात स मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आपदा राहत कोष के मानदर के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाएगा।

5.20 **गैर प्राकृतिक आपदाः**— गैर प्राकृतिक आपदाओं के कारण घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की दषा में उपचार हेतु एवं मृत्यु की स्थिति में ₹ 1.00—1.00 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष मधुबनी जिले में बोलेरो एवं रेल की टक्कर के फलस्वरूप हुए दुर्घटना में घायलों के उपचार एवं मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु 20.28 लाख रूपये विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

5.21 **राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठनः**— राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस फोर्स (NDRF) के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दो गई है। 1157 पदों के लिए साक्षात्कार एवं शारीरिक/ स्वास्थ्य परीक्षण माह दिसम्बर, 2011 में कर लिया गया है। नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसे मार्च, 2012 तक पूरी कर ली जाएगी। इनके आवासन के लिए 25 एकड़ जमीन बिहटा में अधिगृहित की गई है। SDRF के आवासन, प्रषिक्षण, आवागमन आदि की व्यवस्था करने हेतु

कोर कमिटि का गठन किया गया ह। आधुनिक उपकरणों एवं तकनीक से लैस करने क लिए बजटीय प्रावधान किए गये हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक SDRF का गठन कर दिया जाएगा।

5.22 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण :– बाढ़ के समय समुदायों को ऊँचे स्थलों पर शरण लेने की आवश्यकता पड़ती है। कोसी बाढ़ आपदा के समय इसे सिद्दत से महसूस किया गया है और सरकार द्वारा तत्काल सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में चिन्हित स्थानों पर जनसमुदायों के शरणस्थली के रूप में High Raised Pucca Plateform के रूप में Flood Centre Cum Community Shelter का निर्माण पालतू मवेशियों के लिए Cattle Shelter का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। तत्काल कोसी बाढ़ आपदा प्रभावित जिलों में ऊँचे बाढ़ आश्रयणी–सह–सामुदायिक भवन का निर्माण मुख्यमंत्री सहायता कोष से कराने का निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। यह विभाग इस कार्य का अनुश्रवण कर रहा है। इसके निर्माण पर प्रति इकाई ₹ 53.35 लाख का व्यय आकलित है।

5.23 शीतलहर से बचाव के उपाय :– दिसम्बर माह के उतरार्द्ध में जनवरी, 2012 में राज्य में भीषण शीत लहरी के चलते नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। विभाग ने पूरे राज्य में जगह–जगह प्रतिदिन 3503 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करायी गयी थी जिसमें प्रतिदिन 6,74,782 कि0ग्रा0 लकड़ी का उपयोग किया गया। इस पर ₹ 97.62 लाख का व्यय किया गया, ताकि गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों को भीषण शीतलहर से बचाव हो सके। आगामी वर्ष में भी शीतलहर से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.24 जन जागरूकता :– राज्य के नागरिकों को बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप झेलना पड़ता है। आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ गैर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता अविलंब उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस विभाग द्वारा जन समुदायों एवं जन प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता अभियान के साथ विभिन्न आपदाओं से बचाव के उपायों से भी अवगत कराने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

5.25 संचार उपकरणों की व्यवस्था :– प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बाढ़ जैसी आपदा के कारण ध्वस्त संचरण व्यवस्था के विकल्प के रूप में संचरण व्यवस्था कायम रखने हेतु 85 अदद सैटेलाइट फोन (BSNL का DSPT सेट) सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को 200 अदद GPS (Global Positioning System) पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 644 GPS सेट की आपूर्त्ति की गई है।

5.26 नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था :– बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कार्यों के उत्तरदायित्व के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए प्राकृतिक आपदा के समय आपदा प्रबंधन विभाग में अहर्निश केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था रहती है। बाढ़ के समय नियंत्रण कक्ष प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर तक कार्यरत रहता है। नियंत्रण कक्ष सामान्य कार्यालय अवधि के अतिरिक्त प्रतिदिन

(रविवार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों के दिनों सहित) दो पालियों में यथा 8.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक तथा 2.00 बज अपराह्न से 8.00 बजे रात्रि तक सामान्य तौर पर कार्यरत रहते हैं। बाढ़ की भयावहता को दृष्टिपथ में रखकर रात्रि पाली में भी नियंत्रण–कक्ष खुला रखने की व्यवस्था है जहाँ आवश्यकतानुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड तथा अंचल स्तर से निरन्तर संपर्क बना रहता है।

नियंत्रण–कक्ष में एक दूरभाष सं0–0612–2217305 कार्यरत रहता है जिसके साथ फैक्स की सुविधा भी है। इस दूरभाष के अतिरिक्त राज्य भर से आपातिक सूचना प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट फोन अधिष्ठापित किया गया है जिसका नं0– 0899122003 है।

6. **वर्ष 2012–13 के कार्यक्रमः–**

वर्ष 2012–13 में विभाग का कुल योजना बजट रू0 516053000.00 का है। प्रमुख विभागीय कार्यक्रम निम्न प्रकार से होंगे

संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारीः–

उत्तर बिहार की नदियों में लगभग हर वर्ष बाढ आने से बहुत बड़ा भू–भाग प्रभावित होता रहता है। यह देखा गया है कि लगभग 3–4 वर्ष का बाढ़ चक्र उत्तर बिहार में प्रभावी होता है जिसके अनुसार प्रत्येक 3–4 वर्ष के अन्तराल में बाढ़ बहुत बड़े भू–भाग को प्रभावित करती है। वर्त्तमान दशक में वर्ष 2004 तथा 2007 में उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित रहे। वर्ष 2008 में कोशी प्रलय से राज्य के 5 जिले प्रभावित हुए। वर्ष 2011 में भी लगभग बिहार के 22 जिले भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न–भिन्न कारणों से बाढ़ आपदा से ग्रस्त हुए। आपदा प्रबंधन विभाग पूर्ण तत्परता के साथ बाढ़ आपदा से निपटने हेतु तैयारी करता है।

अग्नि साहाय्यः–

अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मुहैया कराना आपदा प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। अगले वर्ष भी इस कार्य को जारी रखने का प्रावधान बजट में रखा गया है।

शीतलहर से बचाव के उपायः–

दिसम्बर माह के उतरार्द्ध से जनवरी, 2012 में राज्य शीत लहरी के चलते नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। विभाग ने पूरे राज्य में जगह–जगह अलाव की व्यवस्था करायी थी, ताकि गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों को भीषण शीत लहर से बचाव हो सके। आगामी वर्ष में भी शीतलहर से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुदानः–

आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अनुसार वज्रपात से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है। फलस्वरूप वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान देने में कठिनाई आ रही थी। किन्तु राज्य

सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुदान देने की व्यवस्था की है। तद्नुसार पूर्व वर्ष की भॉति आगामी वित्तीय वर्ष में भी वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आपदा राहत कोष के मानदर के अनुसार संबंधित जिलों को अनुदान स्वरूप राशि प्रदान की जायेगी।

शताब्दी अन्न कलश योजनाः–

राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, विकलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत ₹10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) का प्रावधान किया गया है तथा 11635 क्वीं खाद्यान्न जिलों को आवंटित किया गया है।

मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माणः–

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ आपदा के दौरान त्वरित रिस्पौंस तथा पेयजल संकट से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्माण किया गया है। सूखा, भूकम्प जैसी आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण हेतु कार्यशालाओं का निर्माण किया गया है एवं निकट भविष्य में इन`व्ठ का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरणः–

बिहार राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। आगामी वर्ष में प्राधिकरण के सुदृढोकरण की योजना है ताकि प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों को पूर्ण क्षमता के साथ सम्पादित कर सके। सुदृढ़ीकरण अंतर्गत नए पदों का सृजन किया जाएगा।

गैर प्राकृतिक आपदाः–

आपदा प्रबंघन विभाग प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ गैर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी हर संभव ससमय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।

राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF):–

बल में नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2011–12 में प्रारंभ कर दी गयी थी। वर्ष 2012–13 में इस बल को खड़ा कर इसके कार्मिकों को पशिक्षित किया जाएगा एवं प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं में इस बल का उपयोग किया जाएगा।

इमर्जेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC) को कार्यरत बनानाः–

राज्य स्तर पर EOC का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में EOC का निर्माण विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2012–13 में सभी EOC को पूर्णतया कार्यरत कर देने की योजना है।

नयी नावों, महाजाल, टेन्ट सामग्री एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्थाः–

गत वर्ष आपदाओं से निपटने के लिए नयी नावों, महाजाल, टेन्ट सामग्री एवं अन्य उपकरणों का क्रय जिलों हेतु किया गया है। वर्ष 2012–13 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जिलों को आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक सुविधाओं से लैस करने की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

आपदा प्रबंधन हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्थाः–

वर्ष 2011–12 में राज्य के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए एक–एक एम्बुलेंस के क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग को राशि विमुक्त की गयी है। वर्ष 2012–13 में इन एम्बुलेंसों को उपयोग में लाया जाएगा ताकि आपदा प्रभावितों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

समुदाय का प्रशिक्षणः–

किसी भी आपदा में समुदाय पहला रिस्पांडर होता है। गत वर्षों बाढ़ प्रवण जिला एवं पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी पंचायतों में समुदाय के 5–5 व्यक्तियों को भूकम्प आपदा का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की जाएगी।

गोताखोरों का प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षणः–

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे व्यक्तियों का शव बरामद करने हेतु गोताखोरों का प्रशिक्षण गत वर्षों में प्रारंभ किया गया था। इस प्रक्रिया को वर्ष 2012–13 में भी आगे बढ़ाया जाएगा।

****